राजस्थान सरकार
वाणिज्यिक कर विभाग
कर भवन, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह रोड, जयपुर–302005(राजस्थान)

विज्ञापन संख्याः प01(ए)संस्था/कर0स0/विज्ञप्ति/आयुक्त/2014/623 दिनांक 24-09-2014

विज्ञप्ति

कर सहायक (TAX ASSISTANT) सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा, 2014

राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) नियम 1975 की अनुसूची–1 तथा समय–समय पर संशोधित नियमों के अन्तर्गत, **कर सहायक (TAX ASSISTANT)** के सीधी भर्ती के पदों पर प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति के लिए ऑनलाईन आवेदन–पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

1– पदों की संख्या

1.1 कर सहायकों के कुल रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार हैः–

वर्ग	भरे जाने वाले कुल पद	सामान्य		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		पिछडा वर्ग		विशेष पिछडा वर्ग		विशेष योग्यजन	उत्कृष्ट खिलाडी	भूतपूर्व सैनिक
		सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला			
(अ) गैर अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP)	168	46	14F 05W 01D	27	8 F 3 W -	23	7 F 3 W -	21	7 F 2 W -	1	-	14 (7VH 6HI 1LD)	3	22
(ब)अनुसूचित क्षेत्र (TSP)	014	06	2 F	-	-	5	1 F	-	-	-	-			
कुल	**182**	**52**	**22**	**27**	**11**	**28**	**11**	**21**	**09**	**1**				

संक्षिप्ताक्षर : सा0–सामान्य, म0–महिला F–महिला, W-विधवा D-विवाह विच्छिन्न,VH–अन्धता या निम्न दृष्टि, H.I.–श्रवण शक्ति की क्षीणता, L D– गति विषयक निःशक्तता या मस्तिष्क सम्बन्धी फाजिल

1.2 विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या वृद्वि की जा सकती है।

1.3. आरक्षित पदों की गणना नियमानुसार की गई है, इसमें मानवीय भूल के कारण रही त्रुटि के सम्बन्ध में विभाग को संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

2– आरक्षण के प्रावधानः–

2.1 विभिन्न आरक्षित वर्ग यथा–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्यजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक, महिला, विधवा एवं विवाह विच्छिन महिला इत्यादि को आरक्षण राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1975,राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये नियम, दिशा–निर्देश, आदेश, परिपत्र इत्यादि में किये गये प्रावधानों के अनुसार दिया जायेगा ।

2.2 राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./वि.पि.व. के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा।

2.3. राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार प्रकिया से भरा जाएगा एवं राजस्थान के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार रिक्त रखा जायेगा ।

2.4 विभाग द्वारा भरे जाने वाले उक्त रिक्त पदों में महिला, विशेष योग्यजन, भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पद का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से होगा । जिस प्रवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध होंगे उसे सम्बन्धित प्रवर्ग में, जिसके वे अभ्यर्थी है, उस ही प्रवर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण प्रवर्गानुसार 30 प्रतिशत होगा, जिसमें से 8 प्रतिशत विधवा महिला अभ्यर्थियों तथा 2 प्रतिशत विवाह विच्छिन्न महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा।

2.5. किसी वर्ग (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग) के पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उस पद को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

2.6 विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति (अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./वि.पि.व.) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

2.7 ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते हैं, अपनी विशेष योग्यजन के सम्बन्ध में राजस्थान विशेष योग्यजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियमानुसार सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त विशेष योग्यजन का स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विशेष योग्यजन हेतु चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त विशेष योग्यजन का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजन का होने पर ही आवेदक विशेष योग्यजन व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा ।

2.8 उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए आवश्यक मापदण्ड निम्नानुसार हैः–

"Outstanding sportspersons" shall mean and include the sportspersons belonging to the state, who:–

Representated Indian Team in Individual or in Team event in any International Tounaments of any sports and games, recognized by the Indian Olympic Association or concerned recognized National sports Fedration;

or

Representated Indian Team in Individual or in Team event in any International Tounaments of any sports and games, recognized by the Indian School Sports Fedration or concerned recognized National School Games Fedration;

or

Medal Winner in the Individual or in Team event in any National Tounaments of any sports and games, recognized by the Indian Olympic Association or concerned recognized National sports Fedration;

or

Medal Winner in the All India Inter University Tournament in Individual event or in Team event in any sports and games, recognized by Indian Universities Assocition."

2.9 अनुसूचित क्षेत्र (टीएस0पी0 एरिया) के अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित अनुसूचित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी से उस क्षेत्र के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

3– <u>वेतनमान व अन्य सुविधाएं</u>

3.1. संशोधित वेतनमान रनिंग पे बैंड रूपये 5200–20200 रू., ग्रेड पे– रू. 2800/–

3.2. ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्य भार स्वीकार करता है, राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन (नियम) 2008 के नियम 21 एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नियमों के अन्तर्गत परिवीक्षा कालावधि जो 2 वर्ष की है, के लिए, नियत दर से मासिक पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) संदत्त किया जायेगा अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में है कार्यरत हैं उनके सन्दर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक प.01 (2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13–3–2006 के अनुसार देय वेतन–भत्ते देय होगें। पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, सम्बन्धित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की दिनांक से ही अनुज्ञात किया जायेगा।

3.3. नये भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये नियमानुसार दिनांक 01.01.2004 से अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

4— शैक्षणिक योग्यताः—

4.1. "भारत मे विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान / कम्प्यूटर अभियांत्रिकी / कम्प्यूटर एप्लीकेशन / कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या इलैक्ट्रोनिक्स या इलैक्ट्रोनिक्स और संचार या सूचना प्रोद्योगिकी मे स्नातक या उच्चतर डिग्री या उसके समतुल्य।

या

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन मे पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी / कम्प्यूटर एप्लीकेशन / सूचना प्रोद्योगिकी मे 3 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समतुल्य।

और

हिन्दी मे 15 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी मे 20 शब्द प्रति मिनट टंकण की गति"।

4.2. देवनागिरी लिपि में लिखित हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान ।

4.3. अभ्यर्थी को द्वितीय चरण की कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व निर्धारित शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करने के सम्बन्ध में प्रमाण स्वरूप अंकतालिका या डिग्री या प्रोवीजनल डिग्री प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । ऐसे अभ्यर्थी जो डिग्री या प्रोवीजन डिग्री प्रस्तुत नहीं कर सके, उन्हें चयन सूची जारी होने के 3 माह के अन्दर डिग्री या प्रोवीजन डिग्री प्रस्तुत करना आवश्यक होगा अन्यथा उनका नाम चयन सूची से निरस्त कर दिया जायेगा ।

5— आयुः—

5.1. आवेदक 1 जनवरी, 2015 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 35 वर्ष की आयू पूर्ण नहीं की हो, परन्तु यह कि ऊपर उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में –

5.2. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछडा वर्ग / विशेष पिछडा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

5.3. सामान्य वर्ग की महिला अभ्यार्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

5.4. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछडा वर्ग / विशेष पिछडा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी हैं के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

5.5 पंचायत समितियों, जिला परिषदों, राजस्थान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों / निगमों के कारोबार में अधिष्ठायी (Substantive) रूप से कार्यरत व्यक्तियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी ।

5.6 राजस्थान राज्य के कियाकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी (Substantive) तौर पर नियुक्त कार्मिको के लिये अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

5.7 रिजर्विस्टों अर्थात रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों और भूतपूर्व सेना कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी । भूतपूर्व सेना कार्मिकों हेतु राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियमानुसार उच्चतम आयु सीमा 50 वर्ष में सैन्य कास / वीर चक या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलन योग्य होगी ।

5.8 विधवाओं और विवाह–विछिन्न महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी। विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विवाह–विछिन्न महिला के मामले में उसे विवाह–विछिन्न की डिकी / न्यायिक सबूत प्रस्तुत करना होगा ।

5.9 एन.सी.सी. के कैडिट–प्रशिक्षकों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट की जायेगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा।

5.10 राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, सरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 39 के अन्तर्गत विशेष योग्यजन श्रेणी के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष, पिछडा वर्ग, विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 13 वर्ष तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 15 वर्ष की छूट होगी।

5.11 निर्मुक्त हुए आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात आयु सीमा में ही समझा जायेगा चाहे उन्होने विभाग के समक्ष उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बशर्ते कि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे।

5.12 भूतपूर्व कैदी के मामले में, जो दोषसिद्धि से पर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति का पात्र था, के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।

5.13. अन्य भूतपूर्व कैदी के मामले में, जो दोषसिद्धि से पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति के लिए पात्र था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।

5.14 उपरोक्त आयु संबंधी वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cummulative" है अर्थात अभ्यर्थी को उपरोक्त वर्णित किसी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा । एक से अधिक प्रावधानों में विहित छूट जोड़कर छूट का लाभ देय नहीं होगा।

6– <u>नियुक्ति के लिये अयोग्यता:–</u>

6.1. किसी भी ऐसे पुरूष/महिला अभ्यर्थी को जिसके एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये उसे विशेष आधार है।

6.2 किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है, जिसके पहले जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है, यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये उसे विशेष आधार है।

6.3. किसी भी विवाहित पुरूष/महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा। स्पष्टीकरण–इस नियम के प्रयोजन हेतु दहेज से वही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिषेध एक्ट,1961 (सेन्ट्रल एक्ट,28 ऑफ 1961) में है ।

6.4 सरकार के परिपत्र कमांक प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है।

6.5. राजस्थान लोक सेवा आयोग/राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं कर पाएगें।

6.6 ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो या उससे अधिक संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि दिनांक 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढोतरी नहीं होती:–

परन्तु यह और कि जहां किसी भी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुये बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

6.7 ऐसे अभ्यथी जो धुमपान एवं गुटखा सेवन करते हैं वे नियुक्ति के पात्र नहीं होगें ।

7– <u>राजकीय सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी:–</u>

7.1 ऐसे आवेदक चाहे वह पहले से सरकारी नौकरी में हो या सरकारी औद्योगिक उपकमों में हो या इसी प्रकार से अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हो, आवेदन विभाग को सीधे ही ऑनलाईन भेजने चाहिए। विभाग द्वारा अंतिम दिनांक के पश्चात ऑनलाईन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे, भले ही आवेदक द्वारा नियोक्ता को अंतिम दिनांक से पूर्व प्रस्तुत कर दिया गया हो।

7.2 जो आवेदक पहले से कार्यरत है उन्हें अपने नियुक्ता को इस परीक्षा के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व ही लिखित में सूचित कर स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि नियोक्ता द्वारा विभाग को आवेदक द्वारा सूचना/अनुमति नहीं दिये जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने के संबंध में सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरंत प्रभाव से रद्द की जा सकती है।

8— <u>ऑन लाइन आवेदन की प्रकिया :–</u>

8.1. ऑन लाईन आवेदन ई–मित्र (E-Mitra) या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से अथवा स्वयं के स्तर पर विभाग की वेबसाइट http://www.rajtax.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाईन किया जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन पत्रों को भरने के लिए अनुदेश विभाग की वेबसाईट www.rajtax.gov.in पर उपलब्ध होगें । आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि अदा करने से पूर्व ई–मित्र की वेबसाईट http://www.emitra.gov.in पर इस सम्बन्ध में उपलब्ध दिशा–निर्देशों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लेवें ।

8.2 आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त ई–मित्र (E-Mitra) या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के कियोस्क की सूची वेबसाईट http://www.emitra.gov.in पर उपलब्ध है।

8.3 **परीक्षा शुल्क निम्नानुसार हैः–**

अ	सामान्य वर्ग के आवेदक हेतु (जिसमें पि.व. किमीलेयर के आवेदक व अधोवर्णित श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणियें के आवेदक सम्मिलित है)	रूपये 750/–
ब	पिछडे वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग के नोन किमीलेयर के आवेदक जो राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी है	रूपये 450/–
स	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक जो राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी हैं ।	रूपये 300/–
द	विशेष योग्यजन श्रेणी के समस्त आवेदक (जिसमें अ.जा./अ.ज.जा. /पि.व./वि.पि.व./सामान्य सभी श्रेणी के निःशक्त जन सम्मिलित है)	रूपये 300/–

8.4. <u>ई–मित्र या जनसुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदनः–</u>

ऑनलाईन आवेदन पत्र राज्य के निर्धारित ई–मित्र (E-Mitra) या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से भरे जाने पर अभ्यर्थी द्वारा रूपये 30/–(आवेदन पत्र भरने हेतु रूपये 20/– + परीक्षा शुल्क जमा करानें हेतु रूपये 10/-) की राशि कियोस्क सेवा प्रदाता को **सेवा शुल्क** के रूप में परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी।

8.5 **अन्य स्थान से ऑनलाईन आवेदनः–** ऑनलाईन आवेदन पत्र आवेदक स्वयं अपने स्तर पर भी भर सकता है। इसके लिए सर्वप्रथम परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी ई–मित्र (E-Mitra) या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) कियोस्क पर या ई–मित्र पोर्टल पर डेबिट कार्ड, केडिट कार्ड तथा नेट बैकिंग से जमा कर वंहा से प्राप्त टोंकन नम्बर को विभाग के ऑनलाईन आवेदन फार्म में भरना होगा। अपने स्तर पर इस प्रकार परीक्षा शुल्क का भुगतान करने पर आवेदक को परीक्षा शुल्क के अलावा रूपये 10/– सेवा शुल्क के रूप में ई–मित्र (E-Mitra) कियोस्क को भुगतान करने होंगे।

8.6 अभ्यर्थी यह ध्यान दे कि ऑनलाईन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन पत्र कमांक (**Application Form Number**) प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र कमांक प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है।

8.7 ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक, आरक्षण, आयु आदि की अर्हता से संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया जावे।

8.8 आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र अंतिम रूप से अपलोड करने से पूर्व उसकी प्रविष्ठियों के सही होने से स्वयं को आश्वस्त कर लेवें। आवेदन पत्र प्रस्तुत (Submit) करने के उपरान्त, इसमें सुधार का कोई अधिकार अभ्यर्थी का नहीं रहेगा।

8.9 ऑनलाईन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रारूप विभाग की वेबसाईट से डाउनलोड कर ले और उसे ऑनलाईन आवेदन से पूर्व हाथ से भर ले।

8.10 अभ्यर्थी आवश्यक रूप से अपना आवेदन पत्र कमांक नोट कर ले ताकि आवेदन से संबंधित सूचना प्राप्त करने में सुविधा हो।

8.11 यदि कोई अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र कमांक (**Application Form Number**) भूल गया है तो विभाग की वेबसाईट www.rajtax.gov.in पर ई–मित्र (E-Mitra) से प्राप्त टोकन नम्बर तथा जन्मतिथि भर कर आवेदन कमांक की जानकारी कर सकता है।

8.12 टंकित या हस्तलिखित आवेदन पत्र किसी भी रूप में विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

9— **ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने एवं जमा कराने की अंतिम तिथिः–**

9.1 ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 29.09.2014 से भरे जायेगें। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क ई–मित्र (E-Mitra) कियोस्क पर दिनांक 28–10–2014 तक जमा करवाकर टोकन प्राप्त कर सकते हैं । ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 29.10.2014 की रात्रि 11.59** तक भरे जा सकते हैं। इसके उपरान्त लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।

9.2. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक का इन्तजार किये बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें।

10— **प्रवेश पत्रः–**

10.1. परीक्षा में प्रवेश हेतु प्रवेश पत्र विभाग की वेबसाईट के माध्यम से डाउनलोड किये जा सकेंगे। **विभाग द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जायेगा।** प्रवेश पत्र अपलोड किये जाने की सूचना विभाग की वेबसाईट http://www.rajtax.gov.in पर जारी की जायेगी तथा यथासंभव अभ्यर्थी के मोबाईल नम्बर पर भी प्रेषित करने का प्रयास किया जायेगा। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र बेबसाइट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र कमांक एवं फीस जमा करानें का टोकन नम्बर ध्यान में रखें।

10.2. आवेदक जिनके आवेदन–पत्र अंतिम दिनांक तक विभाग को ऑनलाईन पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे ऐसे आवेदकों को विभाग द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से परीक्षा में प्रवेश दिया जायेगा। मात्र प्रवेश पत्र (चाहे प्रथम चरण परीक्षा हेतु या द्वितीय चरण परीक्षा हेतु) जारी करने से यह आशय नहीं है कि विभाग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से सही मान ली गयी है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्ठियां विभाग द्वारा सही मान ली गयी है। पात्रता की जांच हेतु अभ्यर्थियों को अलग से विभागीय वेबसाईट के माध्यम से सूचित किया जायेगा। विभाग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय अथवा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षिक योग्यता तथा आरक्षित वर्ग एवं अन्य शर्ते आदि के कारण उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी।

11— **परीक्षा की योजना (स्कीम):–**

11.1 विभाग द्वारा परीक्षा दो चरणों में संचालित की जाएगीः

प्रथम चरण : लिखित परीक्षा (200 अंक)

द्वितीय चरण : कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षण (100 अंक)

(क) अंग्रेजी में कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षण–15मिनट

(ख)एम. एस. एक्सेल में ज्ञान का परीक्षण –15मिनट

(ग) हिन्दी में कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षण– 10मिनट

11.2 कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षण के लिए, रिक्तियों की संख्या के तीन गुने के बराबर अभ्यर्थियों (यथासंभव) को, लिखित परीक्षा (प्रथम चरण) में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता कम में बुलाया जायेगा। द्वितीय चरण की कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा के भाग–ग में हिन्दी टंकण गति परीक्षा केवल क्वालिफाईग (Qualifying) होगी व इसके अंक मेरिट में नहीं जोड़े जायेगे ।

11.3 **चयन प्रकियाः–** संचालित परीक्षा के दोनों चरणों अर्थात् प्रथम और द्वितीय चरण में सफल रहे अभ्यर्थियों द्वारा कुल प्राप्तकों के आधार पर अवधारित योग्यता कम में चयन किया जायेगा। बशर्ते प्रथम चरण की लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम उर्त्तीणाक प्राप्त किये गये हों और द्वितीय चरण के भाग–क में अंग्रेजी टंकण गति कम से कम 20 शब्द प्रति मिनट अर्जित की गई हो साथ ही भाग–ग में हिन्दी टंकण गति 15 शब्द प्रति मिनट की गति अर्जित की गई हो।

11.4 प्रथम चरण की लिखित परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न–पत्र सम्मिलित होंगे और प्रत्येक प्रश्न–पत्र उसके सम्मुख दर्शित अंकों का होगा :–

प्रश्न पत्र–I	अनुज्ञात समय	अधिकतम अंक	न्यूनतम उर्त्तीणाक
भाषा (हिन्दी और सामान्य अंग्रेजी) एवं सामान्य जानकारी	3 घंटे	100	40
प्रश्न पत्र– II			
अंकगणित और तर्क	3 घंटे	100	40

11.5 प्रथम चरण की लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निम्नलिखित होगा :–

प्रश्न पत्र 1–

खण्ड–क भाषा–हिन्दी और सामान्य अग्रेंजी

इस भाग में के प्रश्न किसी अभ्यर्थी की हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में समझ और ज्ञान का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किये जायेंगे और ये त्रुटि पहचान, (क्रिया, कारक चिन्ह् (Preposition) अभिपद (Article) आदि के प्रयोग द्वारा) रिक्त स्थानों को भरने, शब्दावली, वर्तनी, व्याकरण, वाक्य संरचना, समानार्थक, विलोम, वाक्यांश, मुहावरे और शब्दों के मुहावरेदार प्रयोग आदि पर आधारित होंगे।

खण्ड–ख– सामान्य जानकारी

इस भाग में के प्रश्नों का उद्देश्य किसी अभ्यर्थी की, उसके आसपास की परिस्थितियों की सामान्य जानकारी, समसामयिक घटनाओं, दैनिक विज्ञान, इतिहास, सामान्य राज–व्यवस्था, भारत का संविधान, खेल, भूगोल और राजस्थान की संस्कृति और कम्प्यूटर आदि के मूल/प्रमुख सिद्धान्तों के ज्ञान का परीक्षण होगा ।

प्रश्न पत्र –2

अंकगणित और तर्क

इस प्रश्न पत्र में संख्या पद्धति, पूर्णांक की संगणना, दशमलव और भिन्न मूल अंकगणितात्मक संक्रिया, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, बट्टा, समय और दूरी, सारणियों और आलेखों(ग्राफ) के प्रयोग, समय और कार्य से संबंधित विषय पर प्रश्न और बौद्धिक कुशलता और तर्क आदि से संबंधित प्रश्न सम्मिलित होंगे ।

11.6 प्रश्न पत्र– I और प्रश्न पत्र– II में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के और बहुविकल्पीय होंगे। प्रश्न पत्र I भाग ख सामान्य जानकारी तथा प्रश्न पत्र II अंकगणित और तर्क हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में मुद्रित होंगे।

11.7 लिखित परीक्षा के समय, सिर्फ दृष्टिहीन/कम दृष्टिवाले अभ्यर्थियों तथा सेरेब्रल पाल्सी के वजह से जिनकी लिखने की गति प्रभावित हुई है, उन्हें ही अपने खर्चों से सहायक/लेखनिक लाने की अनुमति दी जायेगी। ऐसा लेखनिक/सहायक सीनीयर सैकण्डरी स्तर से अधिक नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को 30 मिनट का अतिरिक्त समय परीक्षा हेतु दिया जायेगा । अभ्यर्थी को लेखनिक/सहायक की आवश्यकता से संबंधित सूचना आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन पते– अतिरिक्त आयुक्त(प्रशासन) मुख्यालय, वाणिज्यिक कर विभाग, कर भवन, अम्बेडकर सर्किल, भवानीसिंह रोड़, जयपुर–302005 (राजस्थान) पर प्रस्तुत करनी होगी ।

11.8 **द्वितीय चरण : कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षण तीन भाग का होगा :–**

अनुज्ञात समय	अधिकतम अंक	न्यूनतम उर्त्तीणाक
40 मिनिट	100	40

11.9 **द्वितीय चरण की कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षण का पाठ्यकम निम्नानुसार होगा**

भाग–क कम्प्यूटर पर टंकण में गति 15 मिनिट

(न्यूनतम 8000 की डिप्रेशन (Key depression) प्रति घंटा)

कम्प्यूटर पर 8000 की डिप्रेशन की गति का विनिर्णय, दिये गये पाठ्य लेखांश के अनुसार कम्प्यूटर में समस्त की डिप्रेशन की सही प्रविष्टि के आधार पर किया जायेगा और उक्त परीक्षण की समय अवधि 15(पन्द्रह) मिनट होगी और 2000–2200 स्ट्रोक/की डिप्रेशन करने वाला अंग्रेजी में अविच्छिन पाठ्य विषय का मुद्रित लेखांश प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा जो उसकी कम्प्यूटर में प्रविष्टि करेगा।

भाग–ख एम. एस. एक्सेल में ज्ञान का परीक्षण 15 मिनिट

भाग–ग हिन्दी में 15 शब्द प्रति मिनिट टंकण की गति का परीक्षण 10 मिनिट

11.10 विभाग द्वारा परीक्षा का पाठ्यकम एवं अन्य सामग्री विकय किए जाने हेतु किसी भी प्रकाशक को अधिकृत नहीं किया गया है। यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रकाशक द्वारा मुद्रित पाठ्यकम अथवा अन्य सामग्री खरीदता है तो यह उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

12— परीक्षा दिनांक एवं स्थानः—

12.1 लिखित परीक्षा दिनांक **07.12.2014** को दो सत्र में आयोजित की जायेगी। प्रश्न पत्र I का समय प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक तथा प्रश्न पत्र II अपरान्ह 2 बजे से 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। लिखित परीक्षा राज्य के संभागीय मुख्यालयों जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र का आवंटन अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया जावेगा। विभाग द्वारा अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण परीक्षा आयोजन के दिनांक व माह में परिवर्तन किया जा सकता है जिसकी सूचना विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध करवाई जायेगी। अतः अभ्यर्थी नियमित रूप से विभागीय वेबसाईट देखते रहें।

12.2 विभाग द्वारा कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षण राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर शहर में आयोजित की जाएगी जिसकी तिथि एवं अन्य विवरण संबंधी सूचना बाद में विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराई जायेगी ।

13— <u>परीक्षा सम्बन्धी विशेष अनुदेशः—</u>

13.1 आवेदक को आवेदन पत्र, परीक्षा प्रवेश, पदों की संख्या में बदलाव, परीक्षा हेतु पात्रता, पात्रता की जांच संबंधी दिनांक/समय/विवरण, परीक्षा योजना (स्कीम), परीक्षा तिथि, परीक्षा परिणाम आदि एवं अन्य आवश्यक सूचनाएं विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध करवाई जायेगी। **डाक द्वारा पृथक से कोई सूचना नहीं भेजी जायेगी।** परीक्षा संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना या अपडेट के लिए अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट http://www.rajtax.gov.in देखते रहें। उक्त सुविधाएं एवं सूचनाएं जो उपलब्ध कराई जा रही है, उसे वेबसाईट पर प्राप्त करने/देखने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी स्वयं की होगी यदि किसी कारणवश ऐसी सूचना वेबसाईट से प्राप्त करने से वंचित रहता है अथवा प्राप्त नहीं करता है तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

13.2 परीक्षा आयोजन के उपरान्त विभाग द्वारा नियमानुसार उत्तर कुंजी(Answer-key) वेबसाइट पर जारी की जायेगी जिसमें अभ्यर्थी को कोई आपत्ति हो तो उसे विभाग को वेबसाईट के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेगा।

13.3 परीक्षार्थी को विभाग/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर (Invigilator) अथवा विभाग द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्व विभाग/केन्द्राधीक्षक, जो उचित समझे, कार्यवाही कर सकता है तथा ऐसे परीक्षार्थी के विरूद्व राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

13.4 कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाईल फोन, ब्लयूटूथ डिवाइज व किसी अन्य प्रकार का इलेक्टॉनिक डिवाइज, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आये। यदि परीक्षार्थि परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाईल व अन्य अनावश्यक वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जप्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व विभाग किसी की भी नहीं होगी। इन अनुदेशों का उल्लधंन किये जाने पर संबंधित उम्मीदार के खिलाफ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

13.5 यदि कोई आवेदक आवेदन में उल्लेखित सूचना के आधार पर कर सहायक के पद के लिए उल्लेखित अर्हताओं की पूर्ति नहीं करता है तो इस परीक्षा के लिए अयोग्य पाये जाने पर आवेदन निरस्तनीय होगा तथा ऐसे आवेदकों को उनके द्वारा जमा कराया गया परीक्षा शुल्क, जिसमें आवेदन शुल्क सम्मिलित है, प्रतिदाय (Refund) नहीं किया जायेगा।

14— **विशेषः—** उपरोक्त समस्त नियम, विधिक प्रावधान, वेतनमान् व अन्य सुविधाएं, शैक्षणिक योग्यता, आयु, नियुक्ति के लिए अयोग्यता, परीक्षा की योजना इत्यादि राजकीय नियमों के आधार पर अवधारित किये गये हैं। किसी भी प्रकार का संशय या त्रुटि होने पर राजकीय नियम मान्य होगें ।

(संजय मल्होत्रा)
आयुक्त,
वाणिज्यिक कर विभाग,
राजस्थान, जयपुर